संख्या- / 2017/ /चार-2017-406(वि0)/2004टीसी

प्रेषक,

जगदीश प्रसाद ,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय ,उ0प्र0

जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ :: दिनांक 30 मार्च ,2017

विषय:- अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3295/सं0नि0-6(16)/10-11, दिनांक 21 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क के निर्माण के सम्बन्ध में प्रायोजना व्यय वित्त समिति ने दिनांक 21-12-2011 में रू0 358.33 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त अनुमोदित रू0 358.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। तत्पश्चात अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क के निर्माण से सम्बन्धित विस्तृत पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन रू0 642.88 लाख का परीक्षण प्रायोजना रचना एंव मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया गया और योजना की लागत धनराशि रू0 606.72 लाख मूल्यांकित की गयी है । अर्थात रू0 606.72-358.33 लाख को घटाते हुए रू0 248.39 लाख आंकलित की गयी है। शासनादेश संख्या-166/2016/2283/चार-2016-406(विविध)/2004टी0सी0,दिनांक 04 नवम्बर 2016 द्वारा अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला केन्द्र (संकुल) के अन्तर्गत निर्माणाधीन थीम पार्क के निर्माण हेतु धनराशि रू0 248.39 लाख की प्रशासकीय तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 158.33 लाख के सापेक्ष प्रथम चरण में धनराशि रू0 125.00 लाख (रूपये एक करोड पच्चीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई इस प्रकार से कुल रूपये 483.33 लाख की निगर्त वित्तीय स्वीक़ति को मूल्यांकित लागत की धनराशि रूपये 606.72 लाख से घटाते हुये कुल अवशेष धनराशि रूपये 123.39 लाख (रूपये एक करोड तेइस लाख उन्तालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीक़ति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नांकित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार सी0एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, फैजाबाद को उक्त निर्माण कार्य हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा, जो आगणन के सापेक्ष नियमानुसार प्रश्नगत कार्य की अनुमोदित मात्राओं हेतु व्यय करेंगे।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(5) प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना का कार्य पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई भी पुनरीक्षण नहीं होगा।

(6) प्राशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना के सफल संचालन के लिए एक सुविचारित कार्य योजना एवं नीति का निर्धारण सक्षम स्तर से अनुमोदित करा लिया जाय ताकि प्रायोजना के सफल संचालन में कोई कठिनाई न हो।

(7) प्रायोजनान्तर्गत डस्ट बिन, डायरेक्शन साइनेज, इन्फारमेटिव साइनेज, वाह्य डायरामास, लाइटिंग फिक्चर्स , आर्टवर्क आदि हेतु बजटरी आफर /कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। चूॅकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर में लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रायोजना में प्रस्तावित उक्त कार्यमदों का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92-के अन्तर्गत आयोजनागत मद के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा , खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-अयोध्या फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय रामलीला संकुल की स्थापना-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।

संख्या- / 2017/ /चार-2017तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम लखनऊ ।
3 - वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-21, सी0एण्ड डी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम, फैजाबाद।
5 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6.- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
8 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(जगदीश प्रसाद)
विशेष सचिव।